मारुति लिमिटेड में भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्री के परिवार के सदस्यों और काली सूची में दर्ज कम्पनियों के शेयर

8700. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 दिसम्बर, 1974 के "मदरलैंड" में प्रकाशित उस समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि मारुति लिमिटेड में भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्री श्री मिश्र के परिवार के सदस्यों के 15670 शेयर है और कर्नाटक एक्सपोर्ट्स लि० की एक सहयोगी कम्पनी वाणिज्य उद्योग प्राइवेट लि० के भी मारुति लि० में 22500 शेयर हैं और कि कर्नाटक एक्सपोर्ट्स लि० को स्टेनलैस स्टील के सौदे में धोखाधड़ी करने के लिये काली सूची में दर्ज किया गया था ;

(ख) इन शेयरहोल्डरों के शेयरों के बारे में पृथक पृथक ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या काली सूची में दर्ज किसी अन्य कम्पनी के भी मारुति लि० में शेयर हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी कम्पनी/कम्पनियों के कितने शेयर है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) और (ख) : "मदरलैंड" ने प्रश्न में निर्दिष्ट समाचार प्रकाशित किया था । परन्तु जब तक स्वर्गीय श्री एल० एन० मिश्र के परिवार के सदस्यों के नाम व पते उपलब्ध नहीं होते, तब तक यह कहना संभव नहीं है कि उनके परिवार के किन्हीं सदस्यों के पास मारुति लिमिटेड के कोई हिस्से हैं । स्वर्गीय श्री मिश्र के स्वयं के नाम में मारुति लि० में कोई हिस्से नहीं है । वाणिज्य उद्योग प्राइवेट लिमिटेड नामक किसी कम्पनी के मारुति लिमिटेड में कोई हिस्से नहीं है ।

विभाग के पास कर्नाटक एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के काली सूची में दर्ज किये जाने की बाबत कोई सूचना नहीं है ।

(ग) विभाग के पास कोई सूचना नहीं है ।

Foreign Majority Drug Companies Purchasing Drugs from Abroad

8701. SHRI ANADI CHARAN DAS: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether Foreign Majority Drug Companies have purchased at high prices proprietory drugs from their parent companies abroad;

(b) if so, whether Government have decided to put an end to this state of affairs; and

(c) if so, facts thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI C. P. MAJHI): (a) to (c) Imports of raw materials,

drugs, drug intermediates, other than those canalised through the S. T. C., are allowed to all the Actual Users whether Indian or Foreign, from Rupee Currency Areas, General Currency areas and available credits on the recommendation of the sponsoring authority. In such cases no obligation is imposed that the import will be from any specific country and the Actual Users are free to import from any availble source of supply.

It was brought to the notice of the Government that some of the foreign drug companies were importing raw materials, bulk drugs, drug intermediates from their principals at higher prices though the International prices had come down. To put a stop to such practices and to ensure that bulk drugs, drug intermediates are imported from the most advantageous source of supply at competitive prices, the system of canalisation of imports through the STC was effected from 1-4-1970. Since then 36 items of bulk, drugs/drug intermediates, which constitute about 60 per cent of the total imports, have been canalised for imports through the STC. The question of further enlarging the list of canalisation of drugs through the S. T. C. is under consideration of the Government.

नरेला रेलवे स्टेशन पर चावल से भरे माल डिब्बे का पकड़ा जाना

8702. **श्री राम प्रकाश :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ने 10 अप्रैल, 1975 को नरेला (हरियाणा) रेलवे स्टेशन पर एक माल डिब्बा पकड़ा जिसमें 221 बोरी चावल लदा था,

(ख) क्या इस संबंध में किसी रेल कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया ;

(ग) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं। लेकिन 4-4-75 को पुलिस ने एक माल डिब्बा कब्जे में लिया था जिसमें 216 बोरी चावल लदा था और जिसे नरेला से ठसारा तक यह कह कर बुक किया गया था कि उसमें 221 बोरी चने की दाल है ।

(ख) जी हां । नरेला रेलवे स्टेशन के एक माल बाबू और 3 कमीशन एजेंटों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है ।

(ग) 3-4-75 को दिल्ली मण्डल के रेलवे सुरक्षा दल को यह सूचना मिली कि 1-4-75 को नरेला से ठसारा स्टेशन (पश्चिम रेलवे) के लिये जो माल डिब्बा नं० एस० ई० सी० 33445 बुक किया गया है और जिसके बारे में कहा गया कि उसमें 221 बोरी चने की दाल लदी है उसमें वस्तुतः चावल लादे गये हैं । चूंकि यह माल डिब्बा अभी भेजे जाने की प्रतीक्षा में था, इसलिये इसे रोक लिया गया और अगले दिन अपेक्षित जांच पड़ताल और आगे कार्रवाई के लिये इस डिब्बे को रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र पहरे में रख दिया गया । यह पता चलने पर कि माल-डिब्बे को रेलवे सुरक्षा दल द्वारा रोक लिया गया है, नरेला स्टेशन के प्राधिकारियों ने इसकी सूचना दिल्ली मण्डल के मण्डल वाणिज्य अधीक्षक को दे दी जिन्होंने आवश्यक कार्रवाई के लिये इस मामले की रिपोर्ट